†[THE DEPUTY MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT AND PLANNING (SHRI L. N. MISHRA): (a) 5 and 1.

(b) Those publications are reports of technical studies of projects and programmes for the use mainly of project authorities.

(c) It is the endeavour of the Planning Commission to bring out an increasing number of publications meant for popular consumption in Hindi.]

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये कार्यालय आदेशों आदि का जारी किया जाना

४८१. **श्री नवाबसिंह चौहान** : क्या **श्रम तथा सेवानियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और उसके संलग्न तथा दिल्ली स्थित अधीनस्थ कार्यालयों में १ अप्रैल, १९६१ से ३० जून, १९६१ तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति, छुट्टी, वेतन, भत्ते आदि के बारे में कितने कार्यालय आदेश, ज्ञापन आदि जारी किये गये ; और

(ख) उनमें से कितने आदेश, ज्ञापन आदि हिन्दी में अथवा हिन्दी अनुवाद के साथ जारी किये गये और शेष को इस प्रकार जारी न करने का क्या कारण था ?

†[ISSUE OF OFFICE ORDERS ETC. TO CLASS IV STAEE

481. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the number of office orders, memoranda etc., relating to appointment, leave, salary, allowances etc., of Class IV staff that were issued in his Ministry and its attached offices and in the subordinate offices located in Delhi during the period from 1st April, 1961 to 30th June, 1961; and

(b) how many of these orders and memoranda etc. were issued in Hindi or with Hindi translations thereof and what was the reason for not issuing the rest of them in this manner?]

श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली) : (क) १३१ (एक अधीनस्थ दफ्तर के अलावा जहां लेखा नहीं रखा गया) ।

(ख) २ । बाकी आदेश अंग्रेजी में निकाले गये । ऐसा संबंधित स्थायी आदेश के अनुसार किया गया ।

†[THE DEPUTY MINISTER OF LABOUR (SHRI ABID ALI): (a) 131 (excluding one of the subordinate offices which has not maintained a record.)

(b) 2. The remaining orders were issued in English in conformity with the standing orders on the subject.]

श्रम तथा सेवानियोजन मन्त्रालय में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी

४८२. **श्री ए० सी० गिलबर्ट** : क्या **श्रम तथा सेवानियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में इस समय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़ कर ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं, जिनकी हिन्दी की योग्यता मैट्रिक या इससे ऊपर है ; और

(ख) इन कर्मचारियों में से कितने इस समय हिन्दी में भी काम कर रहे हैं ?

†[HINDI-KNOWING EMPLOYEES IN L & E MINISTRY

482. SHRI A. C. GILBERT: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the present total number of employees in his Ministry, excepting Class IV employees, who possess

†[ ] English translation.

matric or higher qualification in Hindi; and

(b) the number of those employees, out of them, who are at present working in Hindi also?]

श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली) : (क) १७४ ।

(ख) मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं है, क्योंकि हर कर्मचारी द्वारा किये गये हिन्दी काम का लेखा नहीं रखा जाता ।

†[THE DEPUTY MINISTER OF LABOUR (SHRI ABID ALI): (a) 174.

(b) The required information is not available as no record is kept of the amount of work done by each employee in Hindi.]

पुनर्वास मन्त्रालय में हिन्दी की योग्यता वाले कर्मचारी

४८३. श्री ए० सी० गिलबर्ट : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़ कर ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं, जिनकी हिन्दी की योग्यता मैट्रिक या इससे ऊपर है ; और

(ख) इन कर्मचारियों में से कितने इस समय हिन्दी में भी अपने दफ्तर का काम कर रहे हैं ?

†[EMPLOYEES WITH HINDI QUALIFICATIONS IN REHABILITATION MINISTRY

483. SHRI A. C. GILBERT: Will the Minister of REHABILITATION AND MINORITY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of employees in his Ministry, excluding class IV employees, who have matric or higher qualification in Hindi; and

(b) the number of those employees out of them, who are at present doing office work in Hindi also?]

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) ५४ ।

(ख) ६ ।

†[THE MINISTER OF REHABILITATION AND MINORITY AFFAIRS (SHRI MEHR CHAND KHANNA): (a) 54.

(b) 6.]

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय में अस्थायी कर्मचारी

४८४. श्री भगवत नारायण भार्गव : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय में ३१ मई, १९६१ को भिन्न-भिन्न श्रेणियों के कितने अस्थायी कर्मचारी थे और उनमें से कितने ऐसे थे, जिनकी सेवा की अवधि (१) ५ वर्ष से कम, (२) ५ से १० वर्ष तक और (३) १० वर्ष से अधिक की थी ?

†[TEMPORARY EMPLOYEES IN THE I & B MINISTRY

484. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state the number of temporary employees of different categories on rolls in his Ministry as on the 31st May, 1961, and the number of those amongst them whose length of service is (i) below 5 years, (ii) between 5 and 10 years, and (iii) more than 10 years?]

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (डा० बी० वी० केसकर) : एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सभा की मेज पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३५, अनुपत्र संख्या ३७ ।]

†[ ] English translation.